[2009] 2 एस.सी.आर. 783

राजू

बनाम

राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा

2009 की आपराधिक अपील संख्या 334

19 फरवरी, 2009

(डॉ. अरिजीत पसायत, डॉ. मुकुंदकम शर्मा एवं एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्तिगण)

भारतीय दंड संहिता, 1860

धारा 302, 341 भाग-। — विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता-अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध किया जाना — उच्च न्यायालय द्वारा उसे धारा 341 भाग-। भारतीय दंड संहिता के तहत परिवर्तित किया जाना — सत्यता — अभिनिर्धारित: विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने अपराध के कर्ता के रूप में अपीलकर्ता को उचित रूप से दोषी ठहराया — उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को धारा 302 से धारा 341 भारतीय दंड संहिता में उचित रूप से परिवर्तित किया — अतः हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं — परिस्थितिजन्य साक्ष्य।

अपीलकर्ता-अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया गया था। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को परिवर्तित कर भारतीय दंड संहिता की धारा 341 भाग-। के तहत कर दिया। अतः यह अपील दायर की गई।

अपील निरस्त करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: 1. इस न्यायालय द्वारा निरंतर यह प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ कोई मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, वहाँ दोषसिद्धि का निष्कर्ष तभी उचित होगा जब सभी अपराधसूचक तथ्य एवं परिस्थितियाँ अभियुक्त की निर्दोषता तथा किसी अन्य व्यक्ति के अपराधी होने की संभावना से पूर्णतः असंगत पाई जाए। [कंडिका 7] [789-

एच; 780-ए]

हुकम सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 1063; *इराड़ु एवं अन्य बनाम हैदराबाद राज्य*, ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 316; *ईराभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य*, ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 446; *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुखबासी एवं अन्य*, ए.आई.आर. 1985 एस.सी. 1224; *बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य*, ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 350; तथा *अशोक कुमार चटर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य*, ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 1890 — पर भरोसा किया गया।

2. वे परिस्थितियाँ, जिनसे अभियुक्त के दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, संदेह से परे सिद्ध की जानी चाहिए तथा यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि उनका उस मूल तथ्य से घनिष्ठ संबंध है, जिससे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है। [कंडिका 7] [790-सी]

भगत राम बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 621 - पर भरोसा किया गया।

3.1 इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है, किन्तु उसका परीक्षण उन विधिक सिद्धांतों की कसौटी पर किया जाना चाहिए, जो इस न्यायालय द्वारा सन् 1952 से ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में प्रतिपादित किए गए हैं। [कंडिका 12] [792-बी]

3.2 वर्तमान मामले में अभियोजन साक्षी-7 का साक्ष्य स्पष्ट एवं सुसंगत है। घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है। उसका मृतक के साथ व्यापारिक लेन-देन था। उसने वर्तमान अपीलकर्ता को हाथ में मिट्टी काटने का औजार (सॉयल कटर) लिए हुए देखा था। यद्यपि मृतक एवं वर्तमान अपीलकर्ता के बीच तीखी कहासुनी हुई थी, तथापि उससे अभियोजन साक्षी-7 को यह आभास नहीं हो सकता था कि अभियुक्त मृतक की हत्या कर देगा। अतः, यह तथ्य कि वह मृतक द्वारा कहे जाने पर वहाँ से चला गया था, उसके साक्ष्य पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता। उसके अनुसार, उसने लगभग रात्रि 9:00 बजे मृतक एवं अभियुक्त को वाद-विवाद करते हुए देखा था। मृतक की पत्नी, अभियोजन साक्षी-1, ने लगभग रात्रि 9:30 बजे उसका शव पाया। जिस समय मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ जीवित देखा गया था और जिस समय उसका शव पाया गया, उन दोनों के बीच का समय अत्यधिक नहीं था। यह स्वीकार किया गया कि मृतक एवं अभियुक्त के बीच विवाद

का कारण कमीशन का भुगतान न किया जाना था। विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने उचित रूप से यह धारित किया कि अपीलकर्ता ही अपराध का कर्ता था। उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में ऐसा कोई दोष नहीं पाया गया, जो हस्तक्षेप की अपेक्षा करे। [कंडिका 16] [793-एफ-एच; 794-ए-बी]

सी. चेंगा रेड्डी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1996) 10 एस.सी.सी. 193; पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 79; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव, 1992 आपराधिक विधि पत्रिका 1104; हनुमंत गोविंद नरगुंडकर एवं एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 343; शरद बिर्धिचंद सरडा बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 1622; राजस्थान राज्य बनाम राजा राम, 2003 (8) एस.सी.सी. 180; हरियाणा राज्य बनाम जगबीर सिंह एवं एक अन्य, 2003 (11) एस.सी.सी. 261; कुसुमा अंकमा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 185/2005, जिसका निस्तारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2008 को किया गया); तथा मणिवेल एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (आपराधिक अपील संख्या 473/2001, जिसका निस्तारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2008 को किया गया) — पर भरोसा किया गया।

सर अल्फ्रेड विल्स की "विल्स सर्कम्स्टांशियल एविडेन्स" (अध्याय 6) का संदर्भ लिया गया।

नजीर सन्दर्भ

ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 1063	—	**अवलम्बित**	—	**कंडिका 7**
ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 316	—	**अवलम्बित**	—	**कंडिका 7**
ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 446	—	**अवलम्बित**	—	**कंडिका 7**
ए.आई.आर. 1985 एस.सी. 1224	—	**अवलम्बित**	—	**कंडिका 7**
ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 350	—	**अवलम्बित**	—	**कंडिका 7**
ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 1890	—	**अवलम्बित**	—	**कंडिका 7**
ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 621	—	**अवलम्बित**	—	**कंडिका 7**
(1996) 10 एस.सी.सी. 193	—	**अवलम्बित**	—	**कंडिका 8**
ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 79	—	**अवलम्बित**	—	**कंडिका 9**
1992 आपराधिक विधि पत्रिका 1104	—	**अवलम्बित**	—	**कंडिका 10**

ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 343	**—**	**अवलम्बित**	**—**	**कंडिका 13**
ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 1622	**—**	**अवलम्बित**	**—**	**कंडिका 14**
2003 (8) एस.सी.सी. 180	**—**	**अवलम्बित**	**—**	**कंडिका 15**
2003 (11) एस.सी.सी. 261	**—**	**अवलम्बित**	**—**	**कंडिका 15**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2009 की आपराधिक अपील संख्या 334

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा 2007 की आपराधिक अपील (एम.डी.) संख्या 625 में दिनांक 12.02.2008 को पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ताओं की ओर से : के.के. मणि, सी.के.आर. लेनिन सेकर, मयूर आर. शाह।

उत्तरदाताओं की ओर से : वी. कामगराज, एस. थनंजयन।

न्यायालय का निर्णय **डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति** द्वारा दिया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपील में चुनौती मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित उस निर्णय को दी गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भा.दं.सं.') की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध से परिवर्तित कर धारा 341 भाग-I भा.दं.सं. के अधीन कर दिया गया तथा उसे सात वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया।

3. साझा निर्णय द्वारा दो आपराधिक अपीलों का निस्तारण किया गया। सह-अभियुक्त के. पेरियापांडियन द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली गई तथा उसे दोषमुक्त कर दिया गया।

4. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य निम्नलिखित हैं :—

अभियोजन साक्षी-1 विरुपाची गौंडर उर्फ़ पलानीचामी गौंडर (जिसे आगे 'मृतक' कहा गया है) की पत्नी है तथा अभियोजन साक्षी-3 एवं 4 मृतक के पुत्र हैं। अभियोजन साक्षी-3 एवं 4 विरुपाची में निवास करते थे। अभियोजन साक्षी-1 तथा मृतक बालसमुद्रम में रहते थे। मृतक धन उधार देने का व्यवसाय करता था तथा अभियुक्त संख्या 1 एवं 2 वास्तव में मृतक के अधीन कमीशन पर दलाल के रूप में कार्य करते थे। वे इस बात से असंतुष्ट थे कि उन्हें उचित कमीशन का भुगतान नहीं किया गया। अभियुक्तों ने मृतक के आचरण के संबंध में

अभियोजन साक्षी-3 एवं 4 से शिकायत की और प्रत्युत्तर में अभियोजन साक्षी-3 एवं 4 ने अभियोजन साक्षी-1 को सूचित किया कि उनके पिता को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दोनों अभियुक्त कोई अनिष्ट कर सकते हैं।

जब मामला इस प्रकार चल रहा था, तब अभियोजन साक्षी-7, जिसका मृतक के साथ वित्तीय लेन-देन था, घटना की तिथि अर्थात् 05.04.2005 को मृतक से कुछ राशि प्राप्त करने के लिए बालसमुद्रम गया। वह बस से उतरा, निकटवर्ती चाय की दुकान पर गया तथा मृतक के संबंध में पूछताछ की। उसे बताया गया कि मृतक, दोनों अभियुक्तों के साथ, अपने स्थान की ओर जा रहा है। जब अभियोजन साक्षी-7 वहाँ पहुँचा, तब उसने पाया कि अभियुक्त संख्या 1 एवं 2 तथा मृतक कमीशन के भुगतान को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। उसी समय मृतक ने अभियोजन साक्षी-7 से उसके आने का कारण पूछा। अभियोजन साक्षी-7 ने उत्तर दिया कि वह कुछ धनराशि प्राप्त करने आया है। तब मृतक ने उसे बताया कि उसके पास धन नहीं है तथा उसे चार दिन बाद आने के लिए कहा। इसके उपरांत अभियोजन साक्षी-7 मृतक तथा अभियुक्त संख्या 1 एवं 2 को वहीं छोड़कर वापस लौट गया।

दिनांक 05.04.2005 को रात्रि 9:00 बजे तक मृतक घर वापस नहीं लौटा। अतः लगभग 9:30 बजे अभियोजन साक्षी संख्या 1 अपने पति की खोज में निकली और उसने अपने पति का शव घटनास्थल पर पाया। उसने तत्काल इसकी सूचना अभियोजन साक्षी संख्या 2 को दी, जिसने आगे अभियोजन साक्षी संख्या 3 एवं 4 को सूचित किया। वे भी वहाँ पहुँचे और शव को देखा। इसके पश्चात् अभियोजन साक्षी संख्या 1 पुलिस थाने गई और दिनांक 06.04.2005 को प्रातः लगभग 4:00 बजे अभियोजन साक्षी संख्या 13, प्रधान आरक्षी, को एक शिकायत दी, जिसे प्रदर्श-पी.1 के रूप में चिह्नित किया गया है। प्रदर्श-पी.1 के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध संख्या 293/2005 दर्ज किया गया तथा प्रदर्श-पी.12, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, तैयार किया गया और उसे अभियोजन साक्षी संख्या 11, प्रधान आरक्षी, के माध्यम से न्यायालय को प्रेषित किया गया।

पुलिस निरीक्षक (अभियोजन साक्षी-15) ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसने साक्षियों की उपस्थिति में निरीक्षण किया और प्रदर्श-पी.5, निरीक्षण महजर, तैयार किया तथा प्रदर्श-पी.17, प्रारूप नक्शा, भी बनाया। उसने अभियोजन साक्षी संख्या 8, फोटोग्राफर, से घटनास्थल के विभिन्न कोणों से छायाचित्र खिंचवाए। प्रदर्श-पी.2 श्रृंखला उन छायाचित्रों तथा उनके निगेटिवों से संबंधित है। उसने

एम.ओ.1 (टॉर्च लाइट), एम.ओ.2 (छाता), एम.ओ.3 (खून से सनी धोती), एम.ओ.4 (खून से सनी शॉल), एम.ओ.5 (खून से सनी मिट्टी) और एम.ओ.6 (नमूना मिट्टी) को घटना स्थल से महजर के आवरण के अंतर्गत बरामद किया, जिस पर अभियोजन साक्ष्य-10 और एक अन्य व्यक्ति द्वारा गवाही दी गई थी, जिसे प्रदर्श-पी-6 के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके पश्चात् उसने पंचायतदारों तथा साक्षियों की उपस्थिति में प्रातः 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच मृतक के शव पर पंचनामा किया और प्रदर्श-पी-18, पंचनामा प्रतिवेदन, तैयार किया। तत्पश्चात् उसने शव को शव-परीक्षण हेतु अभियोजन साक्षी संख्या 12, प्रधान आरक्षी, के माध्यम से प्रेषित किया।

सरकारी अस्पताल, पलानी में पदस्थापित चिकित्सक (अभियोजन साक्षी-9) ने अनुसंधानकर्ता से प्राप्त अधियाचना, प्रदर्श-3, के आधार पर मृतक के शव का शव परीक्षण किया तथा प्रदर्श-4, शव परीक्षण प्रमाणपत्र, प्रदान किया, जिसमें यह मत व्यक्त किया गया कि मृतक की मृत्यु शव परीक्षण से 14 से 18 घंटे पूर्व सिर की चोट के कारण उत्पन्न आघात एवं रक्तस्राव से हुई प्रतीत होती है। शव परीक्षण के उपरांत अभियोजन साक्षी-12, प्रधान आरक्षी, ने मृतक के शव से व्यक्तिगत परिधान एवं आभूषण, एम. ओ. संख्या 10 से 13, बरामद किए तथा उन्हें पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर दिया।

अनुसंधान लंबित रहने के दौरान, अभियोजन साक्षी-15, अनुसंधानकर्ता, ने दिनांक 07.04.2005 को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उसी समय दोनों अभियुक्तों ने स्वेच्छा से स्वीकारोक्ति कथन देने की इच्छा व्यक्त की, जिन्हें साक्षियों की उपस्थिति में अभिलिखित किया गया। प्रदर्श-7 अभियुक्त संख्या 1 द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति कथन का ग्राह्य भाग है, जिसके अनुसरण में अभियुक्त संख्या 1 ने एम. ओ. संख्या 7, अर्थात् फावड़े का हत्था, प्रस्तुत किया, जिसे प्रदर्श-9, महाजर, के अधीन बरामद किया गया। अभियुक्त संख्या 1 ने एम. ओ. संख्या 9, रक्तरंजित पूर्ण बाँह की कमीज, भी प्रस्तुत की, जिसे प्रदर्श-11, महाजर, के अधीन बरामद किया गया। प्रदर्श-8 अभियुक्त संख्या 2 द्वारा दिए गए कथन का ग्राह्य भाग है, जिसके अनुसरण में अभियुक्त संख्या 2 ने एम. ओ. संख्या 8, रक्तरंजित कमीज, प्रस्तुत की और वही प्रदर्श-10, महाजर, के अधीन साक्षियों द्वारा सत्यापित की गई। तत्पश्चात् दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। अभियोजन साक्षी-15 ने अनुसंधान जारी रखा, कुछ साक्षियों से पूछताछ की तथा उनके कथन अभिलिखित किए। उसने एम. ओ. को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजे जाने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रदर्श-13, अधियाचना, प्रस्तुत की।

अभियोजन साक्षी-14 न्यायिक लिपिक है और प्रदर्श-13 अधियाचना प्राप्त होने पर एम. ओ. को रासायनिक परीक्षण हेतु प्रदर्श-14, अर्थात् न्यायालय के पत्र, के माध्यम से विधि विज्ञान विभाग को भेजा गया, जिसके परिणामस्वरूप दो प्रतिवेदन प्राप्त हुए, अर्थात् प्रदर्श-15 — रासायनिक परीक्षक का प्रतिवेदन तथा प्रदर्श-16 — सीरमविज्ञानी का प्रतिवेदन।

अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोजन साक्षी-15, अनुसंधानकर्ता, ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित दंडाधिकारी न्यायालय के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन आरोपपत्र समर्पित किया। अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दोष स्वीकार न किए जाने के कारण विचारण संचालित किया गया।

अभियोजन पक्ष के समर्थन में पंद्रह साक्षियों का परीक्षण किया गया। विचारण न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त एवं ठोस प्रकृति के थे। अभियोजन साक्षी-1, अर्थात् मृतक की विधवा, तथा अभियोजन साक्षी-7 के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया। सह-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 तथा धारा 341 भारतीय दंड संहिता के अधीन दोषी पाया गया। अपील में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभिलिखित परिस्थितियाँ परिस्थितियों की पूर्ण श्रृंखला स्थापित नहीं करतीं तथा किसी भी स्थिति में अभियोजन साक्षी-7 का साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील पर विचार किया और उसे दोषी पाया, किन्तु पूर्वोक्त प्रकार से दोषसिद्धि में परिवर्तन कर दिया।

5. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि घटना कथित रूप से रात्रि लगभग 10 बजे हुई तथा प्राथमिकी दिनांक 06.04.2005 को प्रातः लगभग 4 बजे दर्ज की गई। उनके अनुसार अभियोजन साक्षी-7 की उपस्थिति अत्यंत संदिग्ध है। यह तर्क दिया गया कि यदि उसने अभियुक्त व्यक्तियों को क्रोधित अवस्था में देखा था तथा अपीलकर्ता संख्या 1 के हाथ में हथियार था, तो उसे यह देखने के लिए वहीं रुकना चाहिए था कि आगे कोई अप्रिय घटना घटती है अथवा नहीं।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

7. इस न्यायालय द्वारा निरंतर यह प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ कोई मामला

पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, वहाँ दोषसिद्धि का निष्कर्ष तभी न्यायोचित ठहराया जा सकता है जब सभी अपराधसूचक तथ्य एवं परिस्थितियाँ अभियुक्त की निर्दोषता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के अपराधी होने की संभावना से पूर्णतः असंगत पाई जाएँ। [देखें : *हुकम सिंह बनाम राजस्थान राज्य,* (ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 1063); *इराडु एवं अन्य बनाम हैदराबाद राज्य,* (ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 316); *ईराभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य,* (ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 446); *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुखबासी एवं अन्य,* (ए.आई.आर. 1985 एस.सी. 1224); *बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य,* (ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 350); *अशोक कुमार चटर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* (ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 1890)। वे परिस्थितियाँ, जिनसे अभियुक्त के दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, संदेह से परे सिद्ध की जानी चाहिए तथा यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि उनका उस मुख्य तथ्य से घनिष्ठ संबंध है, जिसे उन परिस्थितियों से निष्कर्षित किया जाना अपेक्षित है। *भगत राम बनाम पंजाब राज्य,* (ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 621) में यह प्रतिपादित किया गया था कि जहाँ मामला परिस्थितियों से निकाले गए निष्कर्ष पर निर्भर करता हो, वहाँ उन परिस्थितियों का समष्टिगत प्रभाव ऐसा होना चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषता को पूर्णतः नकार दे तथा अपराध को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त से संबद्ध कर दे।

8. हम इस न्यायालय के निर्णय *सी. चेंगा रेड्डी एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य,* (1996) 10 एस.सी.सी. 193, का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया था :—

> "परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में स्थापित विधि यह है कि जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, वे पूर्णतः सिद्ध होनी चाहिए तथा ऐसी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए तथा साक्ष्य की श्रृंखला में कोई रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। आगे, सिद्ध की गई परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए तथा उसकी निर्दोषता से पूर्णतः असंगत होनी चाहिए...।"

9. पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, (ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 79) में यह प्रतिपादित किया गया था कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, तब ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित कसौटियों को संतुष्ट करना आवश्यक है :—

"(1) वे परिस्थितियाँ, जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना अपेक्षित है, ठोस एवं

दृढ़ रूप से स्थापित की जानी चाहिए;

(2) वे परिस्थितियाँ ऐसी निश्चित प्रवृत्ति की हों, जो अचूक रूप से अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करती हों;

(3) वे परिस्थितियाँ, समष्टिगत रूप से विचार किए जाने पर, ऐसी पूर्ण श्रृंखला निर्मित करें कि उससे यह निष्कर्ष निकालने के अतिरिक्त कोई अन्य संभावना न बचे कि समस्त मानवीय संभावनाओं के अनुसार अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था और किसी अन्य द्वारा नहीं; तथा

(4) दोषसिद्धि को बनाए रखने हेतु परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए तथा अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना से उसकी व्याख्या संभव नहीं होनी चाहिए; और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के दोष के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि उसकी निर्दोषता से भी असंगत होना चाहिए।

10. *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव,* (1992 आपराधिक विधि पत्रिका 1104) में यह इंगित किया गया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए और यदि जिन साक्ष्यों पर भरोसा किया जा रहा है वे युक्तियुक्त रूप से अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप स्पष्टीकरण देने में सक्षम हों, तो अभियुक्त के पक्ष में उस स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह भी इंगित किया गया कि जिन परिस्थितियों सर्वोच्च न्यायालय है, वे पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए तथा सभी सिद्ध तथ्यों का समष्टिगत प्रभाव केवल दोष की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए।

11. सर अल्फ्रेड विल्स ने अपनी प्रशंसनीय पुस्तक *"विल्स' सर्कम्स्टांशियल एविडेन्स"* (अध्याय 6) में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में विशेष रूप से अनुसरण किए जाने वाले निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं : (1) वे तथ्य, जिन्हें किसी विधिक निष्कर्ष के आधार के रूप में अभिकथित किया गया हो, स्पष्ट रूप से सिद्ध किए जाने चाहिए तथा वे संदेह से परे उस तथ्य से संबद्ध होने चाहिए जिसे सिद्ध किया जाना अपेक्षित है; (2) प्रमाण का भार सदैव उस पक्षकार पर होता है, जो ऐसे किसी तथ्य के अस्तित्व का अभिकथन करता है जिससे विधिक उत्तरदायित्व निष्पन्न होता हो; (3) प्रत्येक मामले में, चाहे वह प्रत्यक्ष साक्ष्य का हो अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य का, उस प्रकार का सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसकी मामले की प्रकृति अनुमति देती हो; (4) दोष के निष्कर्ष को

न्यायोचित ठहराने हेतु अपराधसूचक तथ्य अभियुक्त की निर्दोषता से असंगत होने चाहिए तथा अभियुक्त के दोष के अतिरिक्त किसी अन्य युक्तियुक्त परिकल्पना द्वारा उनकी व्याख्या संभव नहीं होनी चाहिए; तथा (5) यदि अभियुक्त के दोष के संबंध में कोई युक्तियुक्त संदेह विद्यमान हो, तो वह दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है।

12. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है, किन्तु उसका परीक्षण उन विधिक सिद्धांतों की कसौटी पर किया जाना चाहिए, जो इस न्यायालय द्वारा सन् 1952 से ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में प्रतिपादित किए गए हैं।

13. हनुमंत गोविंद नरगुंडकर एवं एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 343) में यह प्रतिपादित किया गया था :—

> "यह स्मरण रखना आवश्यक है कि उन मामलों में, जहाँ साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का हो, जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे प्रथम दृष्टया पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए तथा इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। पुनः, वे परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए तथा ऐसी होनी चाहिए कि जिन तथ्यों को सिद्ध किया जाना प्रस्तावित है, उनके अतिरिक्त प्रत्येक अन्य परिकल्पना का निषेध कर दें। अन्य शब्दों में, साक्ष्य की ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए, जो अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप किसी युक्तियुक्त निष्कर्ष के लिए कोई आधार शेष न छोड़े, तथा वह ऐसी होनी चाहिए जिससे यह प्रदर्शित हो कि समस्त मानवीय संभावनाओं के अनुसार वह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

14. शरद बिर्धिचंद सरडा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 1622) में प्रदत्त परवर्ती निर्णय का भी उल्लेख किया जा सकता है। उसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करते हुए यह धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व है कि वह यह सिद्ध करे कि साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण है तथा अभियोजन मामले में विद्यमान रिक्तता अथवा त्रुटि को मिथ्या प्रतिरक्षा अथवा दलील द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। उक्त न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि से पूर्व निम्नलिखित शर्तों का पूर्णतः स्थापित होना आवश्यक है। वे हैं :—

(1) वे परिस्थितियाँ, जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ "हो सकती हैं" नहीं, बल्कि "होनी चाहिए" अथवा "अवश्य हों" के स्तर तक स्थापित होनी चाहिए;

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् उनकी व्याख्या अभियुक्त के दोषी होने के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर संभव नहीं होनी चाहिए;

(3) वे परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(4) वे सिद्ध किए जाने वाले तथ्य के अतिरिक्त प्रत्येक संभावित परिकल्पना का निषेध करती हों; तथा

(5) साक्ष्य की ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए, जो अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप किसी भी युक्तियुक्त निष्कर्ष के लिए कोई आधार शेष न छोड़े तथा जिससे यह प्रदर्शित हो कि समस्त मानवीय संभावनाओं के अनुसार वह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

15. इन सिद्धांतों को *राजस्थान राज्य बनाम राजा राम*, (2003 (8) एस.सी.सी. 180); *हरियाणा राज्य बनाम जगबीर सिंह एवं एक अन्य*, (2003 (11) एस.सी.सी. 261); *कुसुमा अंकमा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* (आपराधिक अपील संख्या 185/2005, जिसका निस्तारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2008 को किया गया); तथा *मणिवेल एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य* (आपराधिक अपील संख्या 473/2001, जिसका निस्तारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2008 को किया गया) में भी रेखांकित किया गया है।

16. अभियोजन साक्षी-7 का साक्ष्य स्पष्ट एवं विश्वसनीय है। घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है। उसका मृतक के साथ व्यापारिक लेन-देन था। उसने वर्तमान अपीलकर्ता को हाथ में मिट्टी काटने के औजार (सॉयल कटर) का हत्था लिए हुए देखा था। यद्यपि मृतक एवं वर्तमान अपीलकर्ता के बीच तीखी कहासुनी हो रही थी, तथापि उससे अभियोजन साक्षी-7 को यह आभास नहीं हो सकता था कि अभियुक्त मृतक की हत्या कर देगा। अतः यह तथ्य कि मृतक द्वारा कहे जाने पर वह वहाँ से चला गया, उसके साक्ष्य पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता। उसके अनुसार, उसने लगभग रात्रि 9:00 बजे मृतक एवं अभियुक्त को तीखी बहस करते हुए देखा था। मृतक की पत्नी, अभियोजन साक्षी-1,

ने लगभग रात्रि 9:30 बजे उसका शव पाया। जिस समय मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ जीवित देखा गया था और जिस समय उसका शव पाया गया, उन दोनों के बीच का समयांतर अत्यधिक नहीं था। यह स्वीकार किया गया कि मृतक एवं अभियुक्त के बीच विवाद का कारण कमीशन का भुगतान न किया जाना था, जिसके कारण वे झगड़ रहे थे। विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने उचित रूप से यह धारित किया कि अपीलकर्ता ही अपराध का कर्ता था। हमें उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में ऐसा कोई दोष नहीं दिखाई देता, जो हस्तक्षेप की अपेक्षा करे।

17. तदनुसार, अपील निरस्त की जाती है।

जी.एन. अपील निरस्त।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।